भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1791

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक हब के रूप में मेरठ

1791. श्री अरुण गोविलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ खेल सामग्री, रत्न और आभूषण के साथ-साथ पुस्तक प्रकाशन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केन्द्र है और इन वस्तुओं का विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है और क्या वर्ष 2030 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे खेल उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यात संवर्धन मिशन भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों की किस प्रकार सहायता करता है;

(ग) निर्यात संवर्धन परिषद मेरठ स्थित निर्यातकों को किस प्रकार सहायता प्रदान करती है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त मिशन के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मेरठ में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ब्रिटिश बिल और कश्मीरी विलो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिनका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट बैट बनाने के लिए किया जा सकता है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): मेरठ देश में खेल के सामान, रत्न और आभूषणों के विनिर्माण के साथ-साथ पुस्तक प्रकाशन के लिए एक मान्यता प्राप्त केंद्र है। इस शहर में विनिर्माताओं का एक लंबे समय से स्थापित ईकोसिस्टम है, और मेरठ में विनिर्मित खेल के सामान का एक हिस्सा विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है।

मेरठ खेलों के सामान, जैसे एथलेटिक सामान (सामान्य व्यायाम उपकरण), क्रिकेट बैट, क्रिकेट के लिए सुरक्षा संबंधी सामान, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग के साजो-सामान,

स्पोर्ट्सवियर, कैरम बोर्ड, नेट, क्रिकेट और हॉकी बॉल और टेबल टेनिस एक्सेसरीज़ जैसे उद्पादों का विनिर्माण और निर्यात केंद्र है। इन सामानों का निर्यात मुख्य रूप से एमएसएमई और व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के देशों सहित कई देशों को किया जाता है। खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 50 सदस्यों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,150.48 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024-25 में 902.74 करोड़ रुपए की खेल सामग्री का निर्यात किया।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अक्तूबर, 2020 में किए गए "भारत में रत्न और आभूषण क्षेत्र के क्लस्टर मैपिंग अध्ययन" में मेरठ को 899 श्रमिकों को रोजगार देने वाली 353 इकाइयों के साथ, एक संभावित रत्न और आभूषण क्लस्टर के रूप में चिह्नित किया।

भारत वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों की मेजबानी से देश में खेल ईकोसिस्टम को व्यापक प्रोत्साहन प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें खेल अवसंरचना का विकास, खेल संबंधी सामानों के विनिर्माण में वृद्धि और संबंधित उद्योगों का विकास शामिल है।

(ख): दिनांक 12.11.2025 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन (ईजीएम) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार के निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के संदर्भ में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। इस मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि हेतु 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

यह मिशन कई खंडित स्कीमों को मिलाकर एक एकल, परिणाम-आधारित और परिवर्तन की गुंजाइश वाले ऐसे फ्रेमवर्क के रुप में लाने के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो व्यापार की वैश्विक चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने में सक्षम है।

ईपीएम, वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के सहयोगात्मक फ्रेमवर्क पर आधारित है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित किया जाएगा:

निर्यात प्रोत्साहन - यह एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, बंधक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड तथा नए बाजार में विविधता के लिए क्रेडिट संवर्धन सहायता जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

निर्यात दिशा - यह गैर-वित्तीय एनेब्लर्स कारकों पर केंद्रित है, जो बाजार संबंधी तैयारी एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं, जिनमें निर्यात गुणवत्ता तथा अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग के लिए सहयोग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना एवं क्षमता निर्माण संबंधी पहल शामिल हैं।

(ग): वर्तमान में, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चौदह निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। ये परिषदें, कंपनी अधिनियम/ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं और सलाहकार और कार्यकारी दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। उनकी भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के आधार पर निर्धारित होते हैं। ये परिषदें, उक्त नीति के तहत निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करती हैं।

मेरठ में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख ईपीसी निम्नानुसार है:-

i. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), व्यापार जगत के सदस्यों के साथ जुड़ने, उन्हें उद्योग जगत से संबंधित नई बातों से अवगत कराने और नीतिगत उपायों पर जानकारी प्रदान करने हेतु समय-समय पर मेरठ की प्रचार-प्रसार यात्राएं आयोजित करती है।

ii. मेरठ के खेल सामान और खिलौना निर्यातकों को, खेल सामग्री और खिलौना निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जो बाजार विकास, व्यापार संवर्धन कार्यकलाप, बाजार आसूचना के प्रसार, मानकों और प्रमाणन पर मार्गदर्शन, निर्यातकों की समस्याओं को सरकार के

समक्ष प्रस्तुत करने और नए क्लस्टर बनाने संबंधी सूचना प्रदान करने का कार्य करती है। यह परिषद, निर्यातकों और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है।

iii. वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात संवर्धन ब्यूरो उत्तर प्रदेश के लिए एक सुविधा प्रदाता संगठन के रूप में कार्य करता है। 15 चिन्हित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के अनुसार, इस परिषद ने संबंधित क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि, संवर्धन करने, संगत क्षेत्रों में निर्यात को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ इन क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु चिन्हित क्षेत्रों की क्षेत्रीय पैनल समितियों का गठन किया है।

(घ): पूर्ववर्ती बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, जो अब निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत समाहित है, के तहत निधियां योजना-आधारित और क्षेत्र-विशिष्ट हैं और इनका आबंटन शहर-वार आधार पर नहीं किया जाता और इस रूप में इनका विवरण भी नहीं रखा जाता है। मेरठ के निर्यातकों को, पिछले पांच वर्षों के दौरान, भी इस स्कीम/ मिशन के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वित अनुमोदित कार्यकलापों के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है।

(ङ): ब्रिटिश विलो को विनिर्माताओं द्वारा आवश्यकतानुसार आयात किया जाता है, जो लागू आयात और पादप संगरोध विनियमों के अध्यधीन है। हालांकि, जम्मू और कश्मीर के विलो निषेध अधिनियम, 2000 के तहत कश्मीर विलो की उपलब्धता पर बंदिश है। इस अधिनियम के तहत, कश्मीर विलो को जम्मू-कश्मीर के बाहर लाने-ले जाने की अनुमति नहीं है।

*****